न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 13/2024

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –

1. प्रहलाद सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह जाति राजपुरोहित निवासी मु.पो. ढोक तहसील चौहटन व जिला बाडमेर (मैसर्स न्यू हिंगलाज स्वीट होम, विरात्रा सर्किल बाडमेर रोड़, चौहटन का विक्रेता)
2. प्रेमसिंह पुत्र त्रिलोक सिंह जाति राजपुरोहित निवासी मु.पो. ढोक तहसील चौहटन व जिला बाडमेर (मैसर्स न्यू हिंगलाज स्वीट होम, विरात्रा सर्किल बाडमेर रोड़, चौहटन का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 एवं 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अभियुक्तगण अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 20.08.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 एवं 58 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **न्यू हिंगलाज स्वीट होम, विरात्रा सर्किल बाडमेर रोड़, चौहटन** पर निरीक्षण दिनांक **27.08.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **खोया** जो लगभग 10 किलोग्राम खुले लोहे के पीपे फ्रीजर के अंदर रखा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **01 कि0ग्रा0 खोया** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2255** [illegible] कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत [illegible] हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर [illegible] **खोया** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सु[illegible]क प्र[illegible]ला जोधपुर को भिज[illegible]या। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा ए[illegible] जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दि[illegible]8.09. **2023** में उक्त खाद्य पदार्थ **खोया** का नमूना को [illegible]**मानक (Sub-standard)** बताया गया जिसकी अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:13:57 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (राज.) बाड़मेर
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 एवं 58 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **08.09.2023** में उक्त नमूना **अवमानक** स्तर का पाया गया है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के अनुसार **B.R. Reading of extracted fat at 40 degree C** मानक स्तर **should be between 40.0 to 44.0** मुकाबले **47.04%** एवं **Reichert Value** मानक स्तर न्यूनतम **24.0** के मुकाबले **6.44** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को धारा 46 की उप–धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा पुनः निर्दिष्ट प्रयोगशाला से जांच हेतु निवेदन किया गया। इस पर नमूना की निर्दिष्ट प्रयोगशाला मैसूर से जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 05.02.2024 में उक्त नमूना अवमानक होना पाया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी को सुनवाई के प्रत्येक अवसर पर समुचित मौका दिया जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है जो उसके द्वारा कारित अपराध की मौन जुर्म स्वीकारोक्ति है। अप्रार्थी द्वारा जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 एवं 58 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 एवं 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 30,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर रिकॉर्ड में दाखिल हों।

5. आदेश आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:13:57 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)